

  
**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, 15 जनवरी, 2015/पौष 25, 1936

No. 18]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 15, 2015/PAUSA 25, 1936

**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय**

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशक)

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 15 जनवरी, 2015

**विषय : मिश्र में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच :-जांच की समाप्ति**

सं. 14/18/2013-डी जी ए डी.--सीमा शुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क प्रशुल्क (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनपर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 को ध्यान में रखते हुए :

**2. पृष्ठभूमि**

- (i) निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतद्पश्चात् प्राधिकारी कहा गया है) को उपर्युक्त नियमों के अंतर्गत मैसर्स इंडियन एक्रिलिक लिमिटेड, चंडीगढ़ और मैसर्स पशुपति एक्रिलिक लिमिटेड, दिल्ली से एक आवेदनपत्र मिश्र (जिसे एतद्पश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के पाटन का आरोप लगाते हुए दायर की है।
- (ii) प्राधिकारी ने याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर मिश्र में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयातों के अभिकथित पाटन के विरुद्ध जांच प्रारंभ करने का निश्चय किया। प्राधिकारी ने नियमावली के उप-नियम 5 (5) के अनुसार जांच की कार्यवाई प्रारंभ करने से पहले पाटन के अभिकथन के बारे में आवेदनपत्र प्राप्त होने के संदर्भ में संबद्ध देश के राजदूतावासों को अधिसूचना प्रेषित की।
- (iii) प्राधिकारी ने संबद्ध देश में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित सीमाशुल्क प्रशुल्क अधिनियम, 1975 के अध्याय 25 के अंतर्गत वर्गीकृत एक्रिलिक फाइबर के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच प्रारंभ करते हुए भारत के राजपत्र असाधारण में दिनांक 24 फरवरी, 2014 को प्रकाशित एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया।

- (iv) प्राधिकारी ने इस सार्वजनिक नोटिस की एक प्रति ज्ञात निर्यातकों, जिनके विवरण याचिकाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए थे, को प्रेषित की और उन्हें इस पत्र की तारीख से चालीस दिनों के अंदर अपने विचारों से लिखित रूप में अवगत कराने का अवसर प्रदान किया।

### 3. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण

घरेलू उद्योग ने अपने दिनांक 23 दिसम्बर, 2014 के पत्र के तहत यह उल्लेख किया कि मिस्त्र में एक्रिलिक फाइबर उत्पादक ने अब अपना उत्पादन करना बंद कर दिया है और यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता है कि मिस्त्र से एक्रिलिक फाइबर के आयातों पर पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण करना आवश्यक नहीं रह गया। तदनुसार उन्होंने अनुरोध किया है कि उपर्युक्त पाटनरोधी जांच के लिए उनके आवेदक को नियम 14 (क) के निबंधनों के अनुरूप वापस ले लिए गए के रूप में माना जाए।

### 4. निष्कर्ष

घरेलू उद्योग के उपर्युक्त प्रस्तुतिकरण के मद्देनजर, निर्दिष्ट प्राधिकारी ने उपरोक्त नियमावली के नियम 14 के प्रावधानों के अंतर्गत एतद्वारा उपर्युक्त जांच, जो मिस्त्र में उद्भवित अथवा वहां से निर्यातित एक्रिलिक फाइबर के आयातों के विरुद्ध दिनांक 24 फरवरी, 2014 की अधिसूचना सं. 14/18/2013-डीजीएडी के तहत उपर्युक्त जांच शुरुआत अधिसूचना को समाप्त किया जाता है।

जे. के. दादू, निर्दिष्ट प्राधिकारी

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING & ALLIED DUTIES)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 15th January, 2015

**Subject:** Anti-dumping investigations concerning import of Acrylic Fibre originating in or exported from Egypt – Termination of investigation.

**No. 14/18/2013-DGAD** - Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, thereof :

## 2. BACKGROUND

- i. The Designated Authority (hereinafter referred to as Authority), under the above Rules, received a written petition from M/s Indian Acrylics Ltd., Chandigarh and M/s Pasupati Acrylon Ltd., Delhi alleging dumping of Acrylic Fibre originating in or exported from Egypt (hereinafter referred to as subject country).
- ii. The Authority on the basis of sufficient evidence submitted by the petitioners decided to initiate investigations against alleged dumping of imports of Acrylic Fibre originating in or exported from Egypt. The Authority notified the Embassy of the subject country about the receipt of dumping allegation before proceeding to initiate investigations in accordance with sub-rule 5(5) of the Rules.
- iii. The Authority issued a Public Notice dated 24th February 2014 published in the Gazette of India Extraordinary initiating anti dumping investigations concerning imports of Acrylic Fibre classified under Chapter 55 of the Customs Tariff Act, 1975 originating in or exported from the subject country.
- iv. The Authority forwarded a copy of the Public Notice to the known exporter, whose details were made available by the petitioners, and gave them an opportunity to make their views known in writing within forty days from the date of the letter.

- v. The period of investigation for the purpose of the present investigations was 1st April, 2012 to 30th September, 2013 (18 months).

### **3. SUBMISSION BY DOMESTIC INDUSTRY**

The Domestic Industry vide its letter dated 23rd December, 2014, has stated that the sole producer of Acrylic Fibre in Egypt has since stopped production and it does not appear necessary to request imposition of anti dumping duty on imports of Acrylic Fibre from Egypt. Accordingly they have requested that their application for the above mentioned Anti-dumping investigation be treated as withdrawn in terms of Rule 14 (a)

### **4. CONCLUSIONS**

In view of the aforesaid submission by the Domestic Industry, the Designated Authority under the provisions of Rule 14 of Rules supra hereby terminates the aforesaid investigation initiated vide notification No.14/18/2013-DGAD dated 24th February, 2014 against imports of Acrylic Fibre originating in or exported from Egypt.

J. K. DADOO, Designated Authority